

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 67/2016

प्रार्थी :-

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. तहसीलदार, जैतारण  
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार  
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

1. मैसर्स ब्रिज एण्ड बिल्डिंग  
कन्सट्रक्सन प्रा0लि0 90बी  
बी.एस. पी मुकर्जी रोड़ कलकता  
जरिये लक्ष्मणभाई पुत्र मोहनभाई  
सोजीतरा  
2. भरत ए मेहता सहायक  
महाप्रबन्धक सिद्धी विनायक  
(निरमा) सीमेन्ट लिमिटेड-निम्बोल  
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी  
अधिनियम, 1955 तारीख रजू:30.03.2016

उपस्थित:- 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।  
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनांक:- 22/11/2017

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार के पद पर कार्यरत है एवं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भूमिधारी है। अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी सरहद मौजा-डूंगरनगर, पटवार हल्का-डिगरना, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 761/1 रकबा 91-05 बीघा किस्म औद्योगिक प्रयोजनार्थ की आई हुई हैं। उक्त भूमि कृषि योग्य है और अप्रार्थीगण ने कृषि प्रयोजनार्थ अर्थात् कृषि कार्य हेतु विभिन्न खातेदारों से क्रय की गई थी। उक्त भूमि कृषि भूमि है और उसका उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य में ही करने के अप्रार्थीगण अधिकारी है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी में से रकबा 10-00 बीघा किस्म बारानी दोयम पर कृषि से अकृषि कार्य मौके पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा हैं और भूमि की कृषि कार्य की उपयोगिता समाप्त कर दी हैं। उक्त भूमि सरहद मौजा-डूंगरनगर, पटवार हल्का-डिगरना, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 761/1 रकबा 91-05 बीघा किस्म औद्योगिक प्रयोजनार्थ अदालत हाजा के अधिकार क्षेत्र में हैं। प्रार्थी को अप्रार्थीगण द्वारा जमीन मुतनाजा का कृषि भिन्न कार्य (अकृषि कार्य) में उपयोग लेने की सूचना दिनांक 01/03/2016 को प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं, जो समयावधि में हैं। इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रति0 को उक्त विवादित आराजी की भूमि से बेदखल किये जाने की इस्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये नोटिसेज वास्ते ज0दा0 तलब किया गया। गै0सा0 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। वकील गै0सा0 जबाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर बहस हेतु तैयार होने से

उपखण्ड अधिकारी  
जैतारण (पाली)

जबाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाता हैं। बहस प्रार्थना पत्र सरकारी पैरोकार एवं वकील गै0सा0 सुनी गई।

बहस समाप्त की गई। पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वस्तुतः उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 761/1 रकबा 91-05 बीघा का दिनांक 28 दिसम्बर 2012 को किस्म औद्योगिक प्रयोजनार्थ (सीमेन्ट उद्योग) भू-रूपान्तरण हो चुका हैं। हैं। उक्त भूमि राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007, के तहत एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(क) के तहत नियमानुसार राजकोष में शुल्क जमा कराने के उपरान्त उक्त भूमि वास्ते औद्योगिक प्रयोजन के रूप में रूपान्तरित की गई हैं। इस प्रकार उद्योग स्थापित करने दौरान उसी उद्योग में शामिल आवश्यक सुविधाएँ जैसे कि पोस्ट ऑफिस, आवासीय कॉलोनी कर्मचारियों व स्टॉफ के निवास हेतु पानी की सप्लाई, विद्युत सप्लाई, हॉस्पिटल, बैंक आदि समस्त प्रकार के निर्माण किये जा सकेंगे। इन सभी निर्माणों को सम्मिलित करते हुए ही इस अधिनियम के तहत नियम 07(IV) के तहत इसी अधिनियम के नियम 9(डी) के तहत भू-रूपान्तरण किया गया था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(24) के तहत भूमि से अभिप्राय उस भूमि से होगा जो कृषि भूमि, उपवन, चारागाह व उन पर निर्मित मकान, बाड़े, सिंचाई के प्रयोजनार्थ से होगा। जबकि इस प्रकरण में वर्णित भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरणशुदा भूमि हैं। जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं होता हैं।


अतः उक्त विवादित आराजी की किस्म औद्योगिक प्रयोजनार्थ (सीमेन्ट उद्योग) होने से सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

### --:: आदेश ::--

अतः सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।



निर्णय आज दिनांक 22/11/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
जिला-पाली (राज0)

  
उपखण्ड अधिकारी  
जिला-पाली (राज0)